



कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)



e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400

पत्रांक:- 3423

/सा0नि0अनु0/नि0सू0/2024-25

दिनांक- 21.03.25

“निविदा सूचना”

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम रुद्रपुर को निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों में पूर्व से स्थापित 27 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प का रिबोर किया जाना है उपरोक्त संख्याएँ आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास निहित होगा। उपरोक्त कार्य हेतु दिनांक 01.04.2025 को अपराह्न 1:00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 02.04.2025 को ही अपराह्न 2.00 बजे अधिप्राप्ति निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 05.04.2025 तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा क्रय कर सकते हैं। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(नरेश चन्द्र वर्मा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक:-

/सा0नि0अनु0/नि0सू0/2024-25

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र सुन्दराना हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 23-03-2025 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप 6X6 सेमी0 में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौरभ कुमार)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों के रिबोर कार्य का विवरण एवं निविदा शर्तें

क्र. सं.	कार्यों का नाम	आंगणन धनराशि (लाख रु० में)	धरोहर धनराशि रु०	निविदा मूल्य+जी.एस.टी.		
				मूल्य	जी.एस.टी.	कुल (रु०)
1.	नगर निगम रुद्रपुर के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में 27 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों का रिबोर का कार्य।	24.88	49760.00	2000.00	360.00	2360.00


1. निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर में या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगमों में विगत 02 वर्षों में 50 इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प के स्थापना/रिबोर कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा उसका अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता फर्म/ठेकेदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 के प्रस्ताव संख्या 14 में पारित प्रस्ताव के क्रम में निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रुद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में रु 10.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न किये गये वांछित अभिलेखों को कूटरचित रूप से (भ्रामक/काट-छाँट कर) प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित निविदादाता की धरोहर धनराशि जब्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य हेतु नगर निगम के किसी भी कार्य को करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा, जिस हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरादायी होंगे।
4. निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त एवं महापौर महोदय नगर निगम रुद्रपुर में निहित है तथा अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
7. निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से 'राजकीय अवकाश छोड़कर' किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं। कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
8. कार्य की सीमा किसी भी स्तर तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
9. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रत्येक दरों को आईटम दरों के अनुसार भरना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु० 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।





1




क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर

(2)

14. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल-2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
15. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्त की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
16. स्वीकृत निविदाओं के कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किये जायेंगे तथा सफल निविदादाता को प्रत्येक कार्यादेश जारी होने की तिथि से 01 माह के अन्दर कार्यादेश में अंकित रिबोर योग्य हैण्डपम्पों का कार्य नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय रंगीन फोटोग्राफ जिसमें हैण्डपम्प की संख्या, वार्ड की संख्या, स्थापना/रिबोर का वर्ष अंकित हो सन्तोषजनक रूप से जल प्रवाह व प्लेटफार्म एवं गृह स्वामी (जिसके घर के पास हैण्डपम्प लगा है) शामिल हो, कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु गहराई सामान्यतः 45 मी0 से कम नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उस सामान्यतः 45 मी0 गहराई पर न्यूनतम 02 वर्ष तक जल प्रवाह बना रहे। जलस्तर न मिलने के कारण फेल हैण्डपम्प रिबोर कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसके रखरखाव की अवधि 02 वर्ष की होगी। रखरखाव की अवधि में हैण्डपम्प में किसी भी तरह की खराबी आने पर सम्बन्धित ठेकेदार अपने व्यय पर उसे ठीक करेगा तथा जनोपयोगी कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। यदि हैण्डपम्प की बोरिंग खराब हो जाती है तो ठेकेदार को पुनः अपने व्यय पर बोरिंग कराकर हैण्डपम्प को क्रियाशील करवाना होगा।
19. उच्चाधिकारियों/विभिन्न जाँच समितियों द्वारा समय-समय पर हैण्डपम्प कार्यों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा अपने व्यय पर कराना होगा। इन जाँचों में गहराई नापने हेतु हैण्डपम्प के जी0आई0 पाईप को पी.वी.सी. लोरिंग से बाहर निकालना, जाँच के बाद पुनः जी.आई. पाईप सहित हैण्डपम्प का अधिष्ठापन प्लेटफार्म की जाँच कराना आदि शामिल होगा।
20. अगर 02 वर्ष के अन्दर इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प रिबोर कार्य में कोई खराबी पायी गई तो विभाग के निर्देश पर प्रथम पक्ष उसको ठीक करेगा अगर उसे तुरन्त ठीक नहीं किया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त कार्य को किसी अन्य ऐजेन्सी द्वारा कराकर उसकी लागत प्रथम पक्ष की जमानत से काट ले एवं कार्य पर होने वाली व्यय धनराशि जमानत से अधिक होने पर अन्य कार्य से कटौती कर ले जिसमें ठेकेदार के किसी भी प्रकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
21. रिबोर योग्य इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प का रिबोर कार्य विभागीय मानकों/आंगणन के अनुसार अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता के निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी को निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियाँ दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य करवा ले। उक्त कराये गये कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
22. यदि हैण्डपम्पों के रिबोर कार्य किये जाने में किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में नगर निगम में उसकी सूचना दें तथा हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
23. ठेकेदार का दायित्व होगा कि प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा। सम्पादित कार्य के बिल के भुगतान में से जमानत धनराशि एवं अन्य आवश्यक करों की कटौतियाँ नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी देय होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

मार्क संख्या 03 पर

(3)

24. ठेकेदार द्वारा रिबोर योग्य इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्पो के रिबोर कार्य को प्रत्येक कार्यादेश जारी होने के 01 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। यदि वह दिये गये समय के अन्दर रिबोर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा मरम्मत के कार्य के लिए रु0 10.00 लाख तक सविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा अन्य समस्त कार्यों में विलम्ब के लिए सविदा मूल्य का 0.5 (आधा) प्रतिशत प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम सविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनलटी/वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
25. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
26. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्प के रिबोर कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम रुद्रपुर को होगा यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
27. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाये जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा की वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर ले तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
28. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
29. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को बिल भुगतान में बिलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का व्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
30. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 02 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्वोरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
31. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।


नोट— समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।



(हरीश सिंह)
सहायक अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(सौरभ कुमार)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(शिखा जोशी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।


(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।